राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
वेबसाईट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in,मेल आई.डी. raj-sforum@nic.in,दूरभाष 0141–2372237

क्रमांक :– एफ 19/सा.प्र./रा.आ./ 827 दिनांक 14.10.2021

परिपत्र

सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक अ.शा.सं.जे.–12/2/2019–सीपीयू दिनांक 22.09.2021 द्वारा देश भर में उपभोक्ता शिकायतों का परेशानी मुक्त, सस्ता एवं त्वरित निवारण सुनिश्चित करनें के लिए तथा स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष **"आजादी का अमृत महोत्सव"** मनानें के भाग के रुप में, विभाग ने उपभोक्ता शिकायतों को हल करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरु किया है, **"जिसमें पुराने लम्बित मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मध्यस्थता तथा लोक अदालत जैसे तंत्रों के माध्यम से, इस उद्धेश्य को प्राप्त करना संभव है। 30 सितम्बर, 2021 तक लंबित मामलों को बेंचमार्क के रुप में लिया जाएगा और 28.02.2022 तक निपटाए गए मामलों के आधार पर प्रगति मूल्यांकन किया जाएगा। तत्पश्चात, राज्य/जिला उपभोक्ता आयोगों के रैंकिंग के माध्यम से अभियान के परिणाम 15 मार्च, 2022 को अर्थात् विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, पर घोषित किए जाएंगे।"**

अतः निर्देशानुसार आदेशित किया जाता है कि राज्य आयोग/जिला आयोगों में लम्बित पुरानें प्रकरणों को विशेषतौर से ध्यान दिया जाकर उपरोक्त भावना के अनुरूप शीघ्रता से निस्तारित करावें।

(अनीश दाधीच)
रजिस्ट्रार

क्रमांकः–एफ 19/सा.प्र./रा.आ./ 828-833 दिनांक 14.10.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
2. माननीय न्यायिक सदस्य/गैर न्यायिक सदस्य, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
3. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच, कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर को पालनार्थ।
5. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (समस्त) राजस्थान को पालनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली।

(रजिस्ट्रार)